राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, बारां

क्रमांक– सखअ / बारां / अनाधिकृत / नीलामी / 2025 / 1156 दिनांक– 30.04.2025

नीलामी सूचना प्रकाशन 02 / 2025–26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सहायक खनि अभियन्ता बारां के कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी / सरकारी खसरों में अवैध खनन / निर्गमन / भण्डारण चैकिंग के दौरान आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी जैसी भी जितनी भी जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक स्टॉक स्थल के लिये नीलामी प्रपत्र राशि रूपये 1000 का डी.डी. / बैंकर्स चैक सहायक खनि अभियन्ता बारां के नाम जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 12.05.2025 को कार्यालय समय तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता बारां, कमरा नं 101, 102 मिनी सचिवालय नवीन विस्तार भवन कलेक्ट्रेट परिसर, बारां से प्राप्त किये जा सकते है।

नीलामी हेतु खनिज काली बजरी का संक्षिप्त विवरण :–

क्रम. सं.	स्थान का विवरण (जहाँ जब्तशुदा बजरी पड़ी है)	जब्तशुदा बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना / अमानत राशि (रू0 में)	न्यूनतम बोली राशि (रू0 में) / प्रति टन
1	अन्ता हाईवे के पास ब्रजवासी ढाबे व आर.डी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पम्प के बीच खाली प्लॉट में	100	1,000 / –	50,000 / –
2	ग्राम बमोरी खाडी हनुमान जी के मन्दिर के पास तह. अन्ता (अक्षांश 25°9'24.62'' देशांश 76°17'7.30'')	89	890 / –	44,500 / –
3	गग्रम रायपुरिया सिलदवाडा रोड के पास सडक के पश्चित किनारे तह0 अंता (अक्षांश 25°13'18.08'' देशांश 76°15'30.6'')	12	120 / –	6,000 / –
4	गग्रम रायपुरिया तह0 अंता के खसरा न0 199 किस्म बंजर रकबा 1.23 है0	41	410 / –	20,500 / –
5	बारां–मांगरोल रोड पर अरूण फिलिंग स्टेशन मांगरोल के सामने	300	3,000 / –	1,50,000 / –
6	बारां–मांगरोल रोड पर अरूण फिलिंग स्टेशन मांगरोल के सामने	130	1,300 / –	65,000 / –
7	दायीं मुख्य नहर के कि.मी. 111 से 118 के मध्य उत्तरी किनारे पर 12 ढेर तह. मांगरोल	225	2,250 / –	1,12,500 / –
8	मांगरोल बमोरीकलां मुख्य सडक के पास सुरजा तालाब देवनारायण मंदिर के पास , नगरपालिका की भूमी	30	300 / –	15,000 / –
9	छीपाबडौद इकलेरा रोड मार्ग पर नमन फिलिंग स्टेशन के सामने	640	6,400 / –	3,20,000 / –
10	छीपाबडौद कृषि अजान मण्डि के प्रवेश द्वार के समीप दीवार के पास	210	2,100 / –	1,05,000 / –

AME

लगातार ---2

11	छीपाबडौद–इकलेरा मार्ग पर सडक के किनारे सांवरिया धर्मकांटा के पास	55	550/–	27,500/–
12	ग्राम गगाचना महादेव जी के स्थान के पास तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°36′15.29″ देशांश 76°46′43.62″)	567	5,670/–	2,83,500/–
13	ग्राम गगाचना रा. आ. उ. मा. विद्यालय गगाचना के पास, तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°36′19.19″ देशांश 76°46′30.96″)	336	3,360/–	1,68,000/–
14	ग्राम दिगोद खालसा तह. छीपाबडौद	500	5,000/–	2,50,000/–
15	ग्राम टांचा तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°41′35. 4″ देशांश 76°43′36.4″)	200	2,000/–	1,00,000/–
16	ग्राम टांचा तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°41′35. 2″ देशांश 76°43′39.3″)	50	500/–	25,000/–
17	ग्राम टांचा तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°41′33. 3″ देशांश 76°43′36.4″)	70	700/–	35,000/–
18	ग्राम मवासा तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°42′43. 6″ देशांश 76°44′26.3″)	140	1,400/–	70,000/–
19	ग्राम मवासा तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°42′43. 1″ देशांश 76°44′23.1″)	70	700/–	35,000/–
20	ग्राम मवासा तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°42′45. 4″ देशांश 76°44′22.0″)	100	1,000/–	50,000/–
21	ग्राम मवासा तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°42′44. 6″ देशांश 76°44′22.6″)	250	2,500/–	1,25,000/–
22	ग्राम गुलखेडी में तालाब के पास उतावली के खाल के पास, तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°39′7.83″ देशांश 76°43′24.82″ व अक्षांश 24°39′8.2″ देशांश 76°43′25.26″)	500	5,000/–	2,50,000/–
23	ग्राम गुलखेडी में तालाब के पास उतावली के खाल के पास तह. छीपाबडौद (अक्षांश 24°39′16.6″ देशांश 76°43′24.948″ व अक्षांश 24°39′48.78″ देशांश 76°43′3.3″)	95	950/–	47,500/–
24	ग्राम खांखरा तह. छबडा (अक्षांश 24°38′28.2″ देशांश 76°50′09.6″)	98	980/–	49,000/–
25	ग्राम परोलिया तह. छबडा (अक्षांश 24°37′38.3″ देशांश 76°50′03.0″)	196	1,960/–	98,000/–
26	ग्राम जगनाथपुरी छबडा–बापचा रोड, तह छबडा (अक्षांश 24°40′21.52″ देशांश 76°51′27.65″)	62	620/–	31,000/–
27	ग्राम जगनाथपुरी छबडा–बापचा रोड, तह छबडा (अक्षांश 24°40′22.97″ देशांश 76°51′27.54″)	84	840/–	42,000/–
28	ग्राम गुगोर रोड वेयर हाउस के पीछे, तह छबडा (अक्षांश 24°40′39.51″ देशांश 76°50′52.27″)	182	1,820/–	91,000/–

30/04/25 AME
लगातार-3 पर

29	धरनावदा–बापचा रोड गौशाला के सामने तह. छबडा	483	4,830 /–	2,41,500 /–
30	ग्राम जगनाथपुरी बापचा रोड, तह छबडा (अक्षांश 24°40′21.93″ देशांश 76°51′27.65″)	168	1,680 /–	84,000 /–
31	ग्राम कडैयाबन तेजाजी चौक व स्कूल फील्ड (तालाब की पाल के किनारे) तह0 छबडा जिला बारां	216	2,160 /–	1,08,000 /–
32	ग्राम रानीबडौद तह. किशनगंज (अक्षांश 25°7′4.4″ देशांश 76°37′48.7″)	39	390 /–	19,500 /–
33	ग्राम कांकडदा सीमलियां रोड खसरा नं 521, तह. किशनगंज	50	500 /–	25,000 /–
34	पुलिस थाना कवाई की सुपुर्दगी में दी गई।	300	3,000 /–	1,50,000 /–
35	पुलिस चौकी कोयला की सुपुर्दगी में।	40	400 /–	20,000 /–
36	पुलिस थाना छबडा की सुपुर्दगी में।	350	3,500 /–	1,75,000 /–
37	पुलिस थाना किशनगंज की सुपुर्दगी में।	107	1,070 /–	53,500 /–

समुहों में पड़े जब्तशुदा खनिज बजरी की प्रत्येक समुह के लिए अलग–अलग बोली दरें सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 13.05.2025 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, कमरा नं 101, 102 मिनी सचिवालय नवीन विस्तार भवन कलेक्ट्रेट परिसर, बारां में प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 14.05.2025 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष सहायक खनि अभियन्ता बारां कक्ष संख्या 102 में खोली जायेगी। नीलामी की शर्ते कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता बारां व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

30/04/25.
(भंवरलाल लबाना)
सहायक खनि अभियन्ता,
बारा (राज0)

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेंगी–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता बारां के कमरा नम्बर 102 पर रखे टेन्डर बॉक्स में दिनांक 13.05.2025 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।
2. उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक स्टॉक स्थल का नीलामी प्रपत्र 1000/– रू का डी.डी/बैंकर्स चैक सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, बारां (ASSISTANT MINING ENGINEER, BARAN) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 12.05.2025 तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, कमरा नं 101, 102 मिनी सचिवालय नवीन विस्तार भवन कलेक्ट्रेट परिसर, बारां से प्राप्त किये जा सकते है।
3. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति में वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता बारां के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अलग–अलग ही संलग्न करने होगे। निविदा राशि 10 रू0 प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
4. निविदापत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाताफर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
5. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है।
6. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
7. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 14.05.2025 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सहायक खनि अभियन्ता बारां के कक्ष संख्या 102 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्य दिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हए बजरी पुनः राज्य पक्ष में ली जावेगी।
8. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
9. निविदादाता को पहचानपत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाणपत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
10. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेठी के पास सुरक्षित होगें एवं किसी भी न्यायिकवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।
12. सफल निविदा दाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवा कर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

AME

14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्पयुटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वनज पर्ची सहायक खनि अभियन्ता बारां को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तौलपर्चियां एवं भरे हुये वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफलबोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
22. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

30/04/25

(भंवरलाल लबाना)
सहायक खनि अभियन्ता,
बारा (राज0)

क्रमांक– सखअ/बारां/अनाधिकृत/नीलामी/2025/1157-1166 दिनांक– 30.04.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर बारां।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला बारां।
3. श्रीमान् निदेशक निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. डीएमजीओएमएस निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा–जोन, कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता कोटा–वृत–कोटा।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) कोटा।
8. संबन्धित थानाधिकारी।
9. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा।
10. तकनीकी स्टाफ बारां कार्यालय हाजा।

30/04/25.

सहायक खनि अभियन्ता,
बारा (राज0)